



THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

9 Magh, 1942 (S)

No. 75

Ranchi, Friday, 29th January, 2021

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification No. 85/2020 – State Tax

S.O. No. 17, Dated 29th January, 2021- In exercise of the powers conferred by section 148 read with sub-section (7) of section 39 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), (hereinafter referred to as the said Act), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons, notified under proviso to sub-section (1) of section 39 of the said Act, who have opted to furnish a return for every quarter or part thereof, as the class of persons who may, in first month or second month or both months of the quarter, follow the special procedure such that the said persons may pay the tax due under proviso to sub-section (7) of section 39 of the said Act, by way of making a deposit of an amount in the electronic cash ledger equivalent to, -

(i) thirty five percent. of the tax liability paid by debiting the electronic cash ledger in the return for the preceding quarter where the return is furnished quarterly; or

(ii) the tax liability paid by debiting the electronic cash ledger in the return for the last month of the immediately preceding quarter where the return is furnished monthly:

Provided that no such amount may be required to be deposited-

- (a) for the first month of the quarter, where the balance in the electronic cash ledger or electronic credit ledger is adequate for the tax liability for the said month or where there is nil tax liability ;
- (b) for the second month of the quarter, where the balance in the electronic cash ledger or electronic credit ledger is adequate for the cumulative tax liability for the first and the second month of the quarter or where there is nil tax liability:

Provided further that registered person shall not be eligible for the said special procedure unless he has furnished the return for a complete tax period preceding such month.

Explanation- For the purpose of this notification, the expression “a complete tax period” means a tax period in which the person is registered from the first day of the tax period till the last day of the tax period.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2021.

[File No.Va Kar / GST /01/2020]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Vandana Dadel,
Principal Secretary,
Commercial taxes Department

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना सं०. 85/2020- राज्य कर

एस. ओ. सं. 17, दिनांक 29 जनवरी, 2021 – झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 39 की उपधारा (7) के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन अधिसूचित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को उन व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है जिन्होंने प्रत्येक त्रिमास या उसके भाग के लिए विवरणी दाखिल करने का विकल्प चुना है, जो त्रिमास के पहले मास या दूसरे मास या दोनों मास में उस विशेष प्रक्रिया का अनुसरण कर सकेंगे कि उक्त व्यक्ति निम्नलिखित के समानुपाती रकम का इलैक्ट्रानिक नकद लेजर में जमा करके उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (7) के परन्तुक के अधीन शोध्य कर का संदाय कर सकेंगे, -

- (i) जहां विवरणी त्रैमासिक आधार पर दाखिल की जाती है वहां पूर्ववर्ती त्रिमास के लिए विवरणी में इलैक्ट्रानिक नकद लेजर घटाकर संदत्त कर दायित्व का पैतीस प्रतिशत; या
 - (ii) जहां विवरणी मासिक आधार पर दाखिल की जाती है वहां तत्कालीन पूर्ववर्ती त्रिमास के अंतिम मास के लिए विवरणी में इलैक्ट्रानिक नकद लेजर घटाकर संदत्त कर दायित्व:
- परन्तु जहां -

(क) त्रिमास के पहले मास के लिए, जहां उक्त मास के लिए इलैक्ट्रानिक नकद लेजर या इलैक्ट्रानिक प्रत्यय लेजर में बकाया, कर दायित्व के लिए पर्याप्त है या जहां कर दायित्व कुछ नहीं है;

(ख) त्रिमास के दूसरे मास के लिए जहां त्रिमास के पहले और दूसरे मास के लिए इलैक्ट्रानिक नकद लेजर या इलैक्ट्रानिक प्रत्यय लेजर में बकाया, संचयी कर दायित्व के लिए पर्याप्त है या जहां कर दायित्व कुछ नहीं है,

वहां ऐसी कोई रकम जमा करना अपेक्षित नहीं हो सकेगा:

परन्तु यह और कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त विशेष प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसने पूर्ववर्ती ऐसे मास की पूर्ण कर अवधि के लिए विवरणी दाखिल नहीं की है ।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, “पूर्ण कर अवधि” पद से वह कर अवधि अभिप्रेत है जिसमें कोई व्यक्ति कर अवधि के पहले दिन से कर अवधि के अंतिम दिन तक रजिस्ट्रीकृत होता है ।

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2021 से प्रवृत्त होगी ।

[सं.सं .वा0कर/जी0एस0टी0/01/2020]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

वंदना दादेल,

प्रधान सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग ।
